

प्रेस प्रकाशनी



21.03.2023

कोयला मंत्रालय की "अनुदानों की मांगें (2023-24)" विषय से संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के सभापति तथा संसद सदस्य, श्री राकेश सिंह ने 21 मार्च, 2023 को कोयला मंत्रालय की "अनुदानों की मांगें (2023-24)" विषय से संबंधित समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट कुछेक महत्वपूर्ण टिप्पणियां / सिफारिशें निम्नवत हैं:-

<p><u>एनईआर में निधियों के उपयोग संबंधी मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाकर एक कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता</u></p>	<p>समिति ने नोट किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कोयला मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों योजनाओं के लिए आवंटित/₹ 393.24 करोड़ की बजटीय राशि की तुलना में संशोधित अनुमान ₹ 547.88 करोड़ था और फरवरी, 2023 तक ₹ 419.81 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया जो संशोधित आवंटन का 76.62 प्रतिशत है। कोयला मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति को आश्वासन दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए</p>
--	---

	<p>आवंटित धन को छोड़कर वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा। समिति ने सिफारिश की है कि कोयला मंत्रालय को भविष्य में एनईआर में धन के उपयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और धन उपयोग के मामले को पूर्वोत्तर के राज्य सरकारों के साथ उठाना चाहिए ताकि क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके।</p> <p>(सिफारिश क्र. सं. 1)</p>
<p><i>मंत्रालय को संशोधित अनुमान स्तर पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की मांग बढ़ाने को कहा गया</i></p>	<p>समिति ने नोट किया है कि कोयला मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए ₹ 642.32 करोड़ (केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 563.50 करोड़ रुपये और अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 78.82 करोड़ रुपये) आवंटित की गई है। मंत्रालय ने बताया कि उन्हें वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों के कारण अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है। कोयले की इन्वेंटरी में वृद्धि, कोयला अवसंरचना के विकास आदि के लिए चालू केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति मंत्रालय को सिफारिश की है कि संशोधित अनुमान स्तर पर वास्तविक अनुमानित आवश्यकताओं के अनुसार अधिक बजटीय सहायता की मांग करें।</p> <p>(सिफारिश क्र .सं .2)</p>

<p>कोयला मंत्रालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयले और लिग्नाइट के संवर्धनात्मक अन्वेषण के लिए कदम उठाने को कहा गया</p>	<p>समिति ने पाया कि संवर्धनात्मक अन्वेषण की योजना के तहत, वर्ष 2022-23 के लिए बीई चरण में ₹ 75 करोड़ के बजट परिव्यय को आरई चरण में बढ़ाकर ₹ 130 करोड़ कर दिया गया था, और फरवरी, 2023 तक वास्तविक उपयोग ₹ 114.12 करोड़ था।</p> <p>समिति ने पाया है कि परिव्यय में वृद्धि के साथ, वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारित 0.40 लाख मीटर के वास्तविक लक्ष्य को संशोधित कर 0.65 लाख मीटर कर दिया गया है। समिति इस बात की सराहना करती है कि जनवरी, 2023 तक 0.57 लाख मीटर ड्रिलिंग पहले ही की जा चुकी है और 2022-23 के दौरान निर्धारित अन्वेषण लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान एनईआर घटक को छोड़कर योजना के अंतर्गत निधियों का 100 प्रतिशत उपयोग किया जाएगा। समिति इस बात पर जोर दिया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसलिए, सिफारिश करती है कि कोयला मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोयला और लिग्नाइट के लिए संवर्धनात्मक अन्वेषण की योजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त किये जा सकें।</p> <p>(सिफारिश क्र. सं.5)</p>
---	---

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा विनिर्मित रेत के उत्पादन में वृद्धि की सराहना की गई

समिति ने नोट किया है कि फरवरी, 2023 तक सीआईएल ने 1486 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम.क्यूएम) ओवर बर्डन रिमूवल की खुदाई की, और गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21% की भारी वृद्धि दर्ज की और 101.4% का क्रमिक लक्ष्य हासिल किया। उच्च वृद्धि दर के साथ, सीआईएल को 2022-23 के दौरान 1634 मिलियन क्यूबिक मीटर का लक्ष्य प्राप्त करने का भरोसा है। 272 एमक्यूएम की वृद्धि एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक मात्रा वाली वृद्धि होगी। यद्यपि, ओवर बर्डन रिमूवल कोयले के भविष्य के उत्पादन में सुगमता और तेजी को सुनिश्चित करता है, वहीं समिति ने यह भी पाया कि विनिर्मित रेत, कोयला उत्पादन से निकलने वाले अपशिष्ट के 4 गुना से बनाई जाती है।

जहां तक विनिर्मित रेत सफलता और कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में परियोजनाएं शुरू करने की योजना का संबंध है, समिति को बताया गया है सीआईएल ओवर बर्डन सामग्री से रेत का विनिर्माण कर रही है। ऐसी चार परियोजनाओं अर्थात् वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में दो, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में एक-एक परियोजना ने जनवरी, 2023 तक कुल 2.37 लाख घन मीटर एम-सैंड का उत्पादन किया है।

समिति ने महसूस किया है कि कोयला मंत्रालय और सीआईएल द्वारा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से रेत उपलब्ध कराने की यह पहल एक बहुत ही नवीन विचार के साथ की गई है। कोल इंडिया लिमिटेड की चार सहायक कंपनियों में शुरू की जा रही विनिर्मित रेत परियोजना जिनके द्वारा ओवर बर्डन

	<p>रिमूवल से कुल 2.37 लाख घन मीटर रेत का उत्पादन किया गया है, की इस पहल की सराहना करते हुए, समिति चाहती है कि ऐसी परियोजनाएं कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में शुरू की जाएं।</p> <p>(सिफारिश क्र. सं. 13)</p>
<p>कोयले की निर्बाध निकासी के लिए, समयबद्ध तरीके से फर्स्ट मील कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पूरा करने की सिफारिश की गई</p>	<p>समिति ने पाया है कि कोयला मंत्रालय ने कोयले की निर्बाध निकासी के लिए 71 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं शुरू की हैं, 95.5 एमटीपीए क्षमता की 8 परियोजनाएं (6-सीआईएल और 2-एससीसीएल) पहले ही चालू की जा चुकी हैं। जहां तक रेल के माध्यम से कोयला निकासी के लिए सीआईएल की 44 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं का सवाल है, समिति ने नोट किया है कि कोयला निकासी सुविधा को मजबूत करने के लिए ये योजनाएं दो चरणों में बनाई गई हैं।</p> <p>समिति ने नोट किया है कि यह फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) न केवल कोयले की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करेगी, बल्कि सड़क मार्ग से कोयले के परिवहन के दौरान प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगी। इनमें से चरण-I में 414.5 एमटीपीए की क्षमता वाली 35 परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कार्यान्वित किया जाना है और अन्य 9 परियोजनाएं (चरण-II के अंतर्गत) शुरू की गई हैं जो लगभग 57 एमटीपीए कोयले के प्रेषण को पूरा करेंगी। चरण-I की 35 एफएमसी परियोजनाओं में से 82 एमटीपीए क्षमता की 6 परियोजनाएं पहले ही चालू की जा चुकी हैं और 30 एमटीपीए की 3 परियोजनाओं के मार्च, 2023 तक चालू होने की आशा है।</p>

	<p>समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि चरण-I की सभी फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 2023-24 तक पूरा होने की संभावना है और 9 एफएमसी परियोजनाओं (चरण-II) में से 14 एमटीपीए की कुल 3 एफएमसी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और शेष 6 परियोजनाएं निर्माण और निविदा के विभिन्न चरणों में हैं।</p> <p>समिति ने यह भी पाया है कि 300 एमटीपीए क्षमता की परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और निर्धारित समय पर हैं। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि कोयला मंत्रालय और कोयला कम्पनियां इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए फास्ट ट्रैक पर है और एफएमसी चरण-1 तथा एफएमसी चरण-2 के कार्यान्वयन के बाद, कोल इंडिया लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2024-25 तक मशीनीकृत निकासी को बढ़ाकर 623 एमटीपीए कर देगा।</p> <p>समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि कोल इंडिया लिमिटेड इन एफएमसी परियोजनाओं के लिए अपने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से ₹13000 से ₹14000 करोड़ खर्च कर रहा है। कोयला और रेल मंत्रालयों द्वारा की गई पहलों की सराहना करते हुए समिति चाहती है कि वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना के चरण I और चरण-II दोनों को लक्ष्य के अनुरूप समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित और पूरा किया जाना चाहिए।</p> <p style="text-align: right;">(सिफारिश क्र. सं. 16)</p>
मंत्रालय की उपलब्धियां	पिछले कुछ वर्षों के दौरान त्वरित कोयला उत्पादन को सक्षम बनाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा उठाए गए

कदमों की सराहना करते हुए, समिति ने पाया है कि कोयला मंत्रालय ने कोयले और धुले हुए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरण पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास पहल, संसाधन आधार बढ़ाने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अन्वेषण बढ़ाने जैसे उद्देश्यों को प्राप्त किया है। समिति आशा करती है कि कोल इंडिया लि. कोयला क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देना जारी रखेगी। इसके अलावा, सरकार की अनुसंधान और विकास, संवर्धनात्मक अन्वेषण, गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग, कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा और कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास जैसी केंद्रीय योजनाएं कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगी। समिति ने आशा की है कि इन ठोस प्रयासों से मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की कुशलतापूर्वक उपलब्धि की जाएगी।

(सिफारिश क्र. सं. 18)